



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल
फोन 0755-2551486-87 फैक्स 2550094

क्र. 1437/MGNREGS-MP/NR-1/14
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/2/2014

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला/जिला पंचायत - (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वनक्षेत्र में रहने वाले जॉबकार्डधारी अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने विषयक।

- संदर्भ:-**
1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. - 954/MGNREGS-MP/NR-1/14 दिनांक 29.01.2014
 2. संयुक्त सचिव, (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार का पत्र क्र. - J-11011/1/2009-MGNREGA दिनांक 07-01-2014

—0—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनक्षेत्र में निवारण अनुसूचित जनजाति के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार प्राप्त करने की पात्रता है। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि परिवार के पास वन अधिकार अधिनियम 2006 में उपलब्ध कराई गई भूमि अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई निजी सम्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार, उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त 50 दिवस के रोजगार के मजदूरी की राशि भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

भारत शासन द्वारा संदर्भित पत्र - 2 के परिप्रेक्ष्य में ऐसे परिवार जिनके पास वन अधिकार अधिनियम 2006 में उपलब्ध कराई गई भूमि अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई निजी सम्पत्ति नहीं है कि जानकारी निम्न बिन्दुओं पर तत्काल उपलब्ध करावें ताकि संकलित जानकारी समय-सीमा में भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

जिला का नाम - जनपद पंचायत का नाम -

Sr. No.	Name	Jobcard number	FRA number and the extent of land for which rights have been given	Number of days of works availed till 31st Dec. 2013

(डॉ. रवीन्द्र पटेल)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद